न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर।

स संख्या :– 38/2023

सत्यनारायण **बनाम** पप्पू

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.01.2023	प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने पेश की रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुई पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावें। वकील प्रार्थी उपस्थित है, वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 01.02.2023 को पेश हो।	
01.02.2023	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित है वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस पर गोर किया, व पत्रावली का परीक्षण किया गया तो उक्त वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धु में पुर्व में स्थगन आदेश मु.न 158/2007 सत्यनारायण बनाम पप्पू का नाम से दिनांक 16.10.2007 को जारी की गयी है, उक्त स्थगन आदेश में विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 4725, 4726 किता 2 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम कोटखावदा के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जारी की गयी थी जो दिनांक 22.03.2011 का ता. फैसला वाद अप्रार्थीगण को प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नही किये जाने बाबत् पाबन्द किया जाकर निर्णित की गयी थी, प्रार्थी पुनः द्वितीय प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने हेतु पेश की गयी है जो प्रार्थी द्वारा द्वितीय स्थगन बाबत् स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया केवल दौराने बहस कथन किये जाने पर पूर्व पत्रावली को निकलवाई जाकर अवलोकन किया गया, इस प्रकार प्रार्थी वकील द्वारा क्लीन हैण्ड से नही आने व पूर्व स्थगन आदेश जो 22.03.2011 का ता0 फैसला कन्फर्म होने एवं पूर्व स्थगन आदेश से प्रार्थी असन्तुष्ट था तो उसकी अपील किये जाने हेतु स्वतन्त्र था। इस प्रकार पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 22.03.2011 का कन्फर्म होने से द्वितीय स्थगन दिया जाना न्यायालय उचित नही समझते है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू(जयपुर)	